**बिहार सरकार**
**भवन निर्माण विभाग**

**का0आ0सं0**–भवन / भू–सम्पदा–01–आवास(राजपत्रित)–08 / 2025– 23 पटना, दिनांक– 26/2/26

## 'कार्यालय आदेश'

पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित राजपत्रित पदाधिकारी को पटना केन्द्रीय पूल से **C-Type** आवास गर्दनीबाग नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त्त पर आवंटित किया जाता है:–

| क्र0 | Reg No | पदाधिकारी का नाम / पदनाम | विभाग / कार्यालय | आवंटित आवास |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **BG8419** | **श्रीमती शिखा,**<br>विशेष कार्य पदाधिकारी | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | **C8/406,**<br>गर्दनीबाग |

2. सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। यदि आवंटित आवास स्वीकार है तो उक्त अवधि के अन्दर आवास अधिग्रहण कर भवन निर्माण विभाग को तदनुसार सूचित करेंगे। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
3. नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल (Mobile No.–9264293043) से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
4. पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंश चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
5. विभागीय आदेश सं0–3473, दिनांक–30.04.2024 के आलोक में गर्दनीबाग में नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसर के कॉमन एरीया का साफ–सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, लिफ्ट, डब्ल्यू0टी0पी0, एस0टी0पी0, जेनरेटर आदि का परिचालन में होने वाले व्यय को ध्यान में रखकर मानक किराया के साथ अतिरिक्त मासिक मेंटेनेंश चार्ज भी लिया जायेगा जो निम्नवत है :–

| क्र0 | आवास का टाईप | मानक किराया | मेंटेनेंश चार्ज | प्रति आवास कुल मासिक कटौती |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **सी–टाईप आवास,** गर्दनीबाग | ₹660 | ₹880 | ₹1540 |

उपर्युक्त मासिक चार्ज को संबंधित आवासी के विभाग द्वारा प्रतिमाह मानक किराया के साथ ही वेतन से कटौती की जायेगी।

6. सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –
(शिव रंजन)
संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापांकः– भवन / भू–सम्पदा–01–आवास(राजपत्रित)–08 / 2025– 1989 (भ) पटना, दिनांकः– 26/2/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / संबंधित आवंटी पदाधिकारी / मुख्य अभियंता(पटना) / कार्यपालक अभियंता, गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल / कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल / विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0–1 एवं 03 / कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू) / आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव–सह–भू–सम्पदा पदाधिकारी।